रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2002/श्रावण 22, 1924

No. 205] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2002/SRAVANA 22, 1924

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2002

सं. 371/20/99-ए वी डी-III.—संसद की संयुक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में यथा संस्तुत, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-विधेयक, 1999, विचार किए जाने और पारित किए जाने हेतु लोक सभा में लंबित चल रहा है ;

और केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-अध्यादेश, 1998 की धारा 3 के अंतर्गत गठित किया गया था तथा उपर्युक्त आयोग, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक अप्रैल 04, 1999 के एक समसंख्यक संकल्प के आधार पर क़ायम है ।

और पूर्वोक्त संकल्प में केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और अन्य सतर्कता-आयुक्तों के पद भरे जाने के बारे में कोई प्रावधान विशेष नहीं था ;

और मौजूदा केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के उपरांत सितम्बर 02, 2002 को अपने पद का कार्य-भार छोड़ देंगे तथा अन्य सतर्कता-आयुक्त ने अपना कार्य-काल पूरा कर लेने के उपरांत मार्च 15, 2002 को अपने पद का कार्य-भार पहले ही छोड़ दिया है ;

और विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत-संघ और अन्य के मुकदमें में 1993 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 340-343 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और सतर्कता-आयुक्त (आयुक्तों) के पद भरे जाने की दृष्टि से दिनांक अप्रैल 04,1999 के संकल्प में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि दिनांक अप्रैल 04, 1999 के पूर्वोक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाएँ अर्थात् :-

"उक्त संकल्प के पैराग्राफ़-1 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए, अर्थात् :-

"1.1 आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा --

(क) एक केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त - अध्यक्ष;

(ख) दो से अनधिक सतर्कता आयुक्त - सदस्य ;

1.2 केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता-आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो -

(क) अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुके हैं या हैं और जिनके पास सतर्कता, नीति बनाने और प्रशासन जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन भी है, से संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव हो ; अथवा

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में कोई पद धारण कर चुके हैं या पद पर हैं और ऐसे व्यक्ति जिनके पास वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी हैं, विधि, सतर्कता और अन्वेषणों में विशेषज्ञता और अनुभव हो :

परन्तु केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और सतर्कता-आयुक्तों में खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के एक ही प्रवर्ग से संबंधित दो से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे ।

1.3 (i) केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और सतर्कता-आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएँगे :

परन्तु इस पैराग्राफ़ के अधीन प्रत्येक नियुक्ति एक समिति की सिफ़ारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -

(क) प्रधान मंत्री - अध्यक्ष ;
(ख) गृह मंत्री - सदस्य ;
(ग) लोक-सभा में विपक्ष का नेता - सदस्य ।

(ii) ऊपर पैराग्राफ़ 1.2 में यथा स्पष्ट की गई पात्रता से संबद्ध शर्तें पूरी करने वाले व्यक्तियों के नामों का एक पैनल, मंत्रिमंडल-सचिव द्वारा, उपर्युक्त समिति को उसके विचारार्थ मुहैया करवाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस पैराग्राफ़ के प्रयोजनों के लिए, ''लोक-सभा में विपक्ष के नेता'' के अंतर्गत जब मान्यता प्राप्त ऐसा कोई भी नेता नहीं हो तो - लोक-सभा में सरकार के सबसे बड़े एकल विरोधी दल के नेता शामिल होंगे ।

(iii) केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त या किसी सतर्कता-आयुक्त की कोई नियुक्ति समिति में किसी रिक्ति के कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी ।

1.4 केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और प्रत्येक अन्य सतर्कता-आयुक्त अपना-अपना पद ग्रहण करने की तारीख से क्रमशः चार वर्ष और तीन वर्ष की अवधि तक अथवा पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक पद धारण करेंगे ।

1.5 केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त और प्रत्येक अन्य सतर्कता-आयुक्त, पद धारण करना समाप्त कर देने पर-

(क) आयोग में पुनःनियुक्ति के लिए ;

(ख) भारत-सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आगे नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा ।

1.6 केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त या कोई सतर्कता-आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, इस संकल्प की अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।